उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

19/03/2021 : पत्रावली पेश हुई। वादलाय उभय। मतगणित 2,4,5,6,8,9,10 की तरफ से वकील श्रीमान्यु सैनी ने जवाब पत्र 40 मय काउन्टर T.I. का पेश किया। वकील पार्टी ने शादि रशीद रैनी पेश की। मतगणित 1,3,7,11,12 आपसुदा तामील होना नहीं कहा। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अभियोजन ने कोर्ट फीस पर हमादूर कर सहमति जताई की प्रकरण में पक्षी मूल दावे का निस्तारण होने तक मौका एवं नाजायज दीवानी की अमलदरामद जारी रखी। वकील अभियोजन का निवेदन स्वीकार कर हाल न्यायालय अधिनियम 13.10.2020 को पारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूल दावे का निस्तारण होने तक अग्रावृत रखा जाता है। पत्रावली लेखानुसार शेष कार्यवाही के लिए दिनांक तामील पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.10.28 11:17:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner